अध्याय 17

समाज कल्याण और सुरक्षा

भारत के संविधान में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों ने लोगों के कल्याण के लिए आदर्श शासन के मानदंड निर्धारित किए हैं और सरकार से यह अपेक्षित है कि वह कानून बनाते समय इन मानदंडों को लागू करे। अनुच्छेद 41 यह निर्दिष्ट करता है कि ''राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर लोगों को काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता तथा अभाव की अन्य स्थिति में सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के प्रभावी उपाय करेगा''। वास्तविक लक्ष्य समाज कल्याण और नागरिकों की स्थिति में सुधार करना है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य हासिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों, उपेक्षित समूहों और शारीरिक बाधाओं से ग्रस्त लोगों के कल्याण की योजनाओं/कार्यक्रमों पर अपने विभागों के माध्यम से अमल सुनिश्चित कर रही है ताकि उनकी बेहतर देखभाल और मदद की जा सके। इस संबंध में, निम्नलिखित विभाग सामाजिक कल्याण और सुरक्षा पर विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने में भूमिका निभा रहे हैं।

(i) **समाज कल्याण विभाग** वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित मामलों को देखता है। इसके अलावा विभाग विकलांग व्यक्तियों का भी मार्ग प्रशस्त करता है और विभाग के कल्याणकारी उपायों के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करता है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, समाज कल्याण विभाग ने कार्यान्वयन के लिए अपने कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत किया है।

(ii) **महिला और बाल विकास विभाग** महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों की देखरेख करता है।

(iii) **अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग** दिल्ली के अजा / अजजा / अपिव निवासियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

3. महिला और बाल विकास के लिए योजनाएं और कार्यक्रम

3.1 समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस)

यह आंशिक रूप केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2 अक्तूबर, 1975 को की गई थी। मौजूदा समय में आईसीडीएस स्कीम बच्चों की शुरुआती देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक बेजोड़ कार्यक्रमों में से एक है। यह कार्यक्रम बच्चों और देखभाल करने वाली माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण प्रतीक है। आईसीडीएस एक तरफ विद्यालय–पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की चुनौती का समाधान करने और दूसरी तरफ कुपोषण, रुग्णता, सीखने की कम क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायता करता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम को भारत सरकार की मदद से दिल्ली में कार्यान्वित कर रही है। आईसीडीएस कार्यक्रम 6 सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफ्रल सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं, जो 10,896 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इस कार्यक्रम की लागत पूरक पोषण के मामले में 50 : 50 और पोषण से इतर मामले में 60 : 40 के अनुपात में केंद्र और राज्य द्वारा

वहन की जाती है। इसके लाभार्थियों में 0–6 वर्ष की आयु समूह के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं शामिल है।

3.2 वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली में समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस) के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न भागों में 95 परियोजनाएं 10,896 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित की गईं, जिनके अंतर्गत 13.26 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को कवर किया गया। इसी प्रकार 2021–22 के दौरान (दिसंबर, 2021 तक) आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों से संबंधित 13.91 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ पहुंचाया गया। इनमें से, 2020–21 में 6.55 लाख बच्चों और महिलाओं तथा 2020–21 में (दिसंबर, 2020 तक) 8.33 लाख बच्चों और महिलाओं को 10896 सक्रिय आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पूरक पोषक आहार प्रदान किया गया। वर्तमान में एक बच्चे के पूरक पौष्टिक आहार पर रोजाना 8 रुपये, प्रति महिला 9.50 रुपये और कुपोषण के शिकार बच्चे के पोषाहार पर 12 रुपये प्रतिदिन लागत आती है और ये साल में 300 दिन उपलब्ध कराया जा रहा है (सितंबर 2018 से लागू)।

3.3 दिल्ली सरकार ने अगस्त, 2017 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 5000/– रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 9678/– रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायकों का पारिश्रमिक 2500 रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 4839 रुपये प्रति माह कर दिया है।

3.4 लाडली योजना

दिल्ली सरकार ने लाडली कार्यक्रम की शुरूआत जनवरी 2008 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा से जुड़ी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर बालिकाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी पात्रता–शर्त यह है कि बच्ची का जन्म दिल्ली में हुआ हो, उसके माता–पिता आवेदन करने की तारीख से पहले कम से कम तीन साल से दिल्ली में रह रहे हों और उनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी एक लाख रुपये से अधिक न हो। इसके अंतर्गत विभिन्न चरणों पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

- योजना के अंतर्गत पहली जनवरी 2008 को या इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में किसी अस्पताल/नर्सिंग होम में पैदा हुई बालिका के नाम बैंक में 11,000 रुपये जमा करा दिये जाते हैं। अगर बालिका अस्पताल या नर्सिंग होम के अलावा घर/किसी अन्य स्थान पर पैदा हुई हो तो खाते में 10000 रुपये जमा कराए जाते हैं।
- पहली, छठी और नौवीं कक्षा में प्रवेश, दसवीं कक्षा पास करने और बारहवीं कक्षा में प्रवेश के समय भी खाते में 5–5 हजार रुपये जमा कराये जाते हैं।
- कुल योगदान/जमा राशि का प्रावधान अस्पताल में जन्म के मामले में रु. 36,000/– और अस्पताल से बाहर जन्म होने की स्थिति में रु. 35,000/– होगा, बशर्ते बालिका ने सभी निर्धारित कक्षाओं में दाखिला लिया हो।
- जब बालिका 18 साल की हो जाती है और नियमित छात्रा के रूप में दसवीं कक्षा पास कर लेती है या बारहवीं कक्षा तक नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करती है तो परिपक्वता राशि ली जा सकती है।
- मार्च 2020 तक इस योजना के अंतर्गत 10.64 लाख बालिकाओं का पंजीकरण कराया जा चुका है, जिनमें से 2,59,044 बालिकाएं अंतिम परिपक्वता राशि के रूप में रु 403.93 करोड़ (2008–09 से 2019–20) प्राप्त कर चुकी हैं।

- 2020–21 के दौरान 6,15,463 पंजीकरण, 87,000 नवीकरण किए गए और 29097 बालिकाओं को परिपक्वता राशि अदा की गई।
- 2021–22 में (दिसंबर 2021 तक) 43,659 पंजीकरण, 22,830 नवीकरण किए गए और 16,505 बालिकाओं को परिपक्वता राशि का भुगतान किया गया।
- लाडली योजना के अंतर्गत 2008–09 से अंशदान का वर्षवार वित्तीय प्रावधान अर्थात् बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण 17.1
अंशदान का वर्षवार वित्तीय प्रावधान

क्रम सं	वर्ष	बजट (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2008-09	86.38	86.44
2	2009-10	87.00	86.97
3	2010-11	110.00	89.26
4	2011-12	93.00	92.90
5	2012-13	105.50	103.00
6	2013-14	113.00	112.29
7	2014-15	96.00	95.64
8	2015-16	103.27	101.92
9	2016-17	106.00	96.67
10	2017-18	101.87	100.65
11	2018-19	100.00	97.54
12	2019-20	100.00	85.30
13	2020-21	100.00	89.10
14	2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	100.00	35.18
कुल		**1402.02**	**1272.81**

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

- **लाडली योजना के अंतर्गत पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति**

विवरण 17.2
पंजीकरण और नवीकरण की स्थिति

क्र सं	वर्ष	पंजीकरणों की संख्या	अदा की गई राशि (करोड़ में)	नवीकरणों की संख्या	अदा की गई राशि (करोड़ में)
1	2008-09	125337	74.17	--	--
2	2009-10	139823	83.57	--	--
3	2010-11	105737	64.85	15367	7.68
4	2011-12	106585	63.57	54216	27.11
5	2012-13	96800	59.71	63805	31.90
6	2013-14	89246	54.96	97620	48.84
7	2014-15	82669	51.71	102466	52.83
8	2015-16	74846	45.99	99366	55.30
9	2016-17	68193	40.98	97284	55.97
10	2017-18	67070	40.15	102489	59.98
11	2018-19	60803	35.88	103703	60.95
12	2019-20	46660	27.69	94338	56.49
13	2020-21	615463	34.98	87000	52.11
14	2021-22 (दिसंबर तक)	27000	16.23	22830	10.56
	Total	**1706232**	**694.74**	**940484**	**519.72**

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

- लाडली योजना के अंतर्गत वितरित परिपक्वता राशि की स्थिति

विवरण 17.3

लाडली योजना के अंतर्गत परिपक्वता वितरण की स्थिति

क्र सं	वर्ष	परिपक्वता योजना की संख्या	वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	2009-10	1640	0.87
2	2010-11	19135	10.66
3	2011-12	11212	6.67
4	2012-13	11247	9.71
5	2013-14	20980	26.8
6	2014-15	20091	30.17
7	2015-16	47766	63.84
8	2016-17	37748	67.60
9	2017-18	34717	70.45
10	2018-19	25411	53.41
11	2019-20	29097	63.75
12	2020-21	20861	50.22
13	2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	16505	45.33
	कुल	**296410**	**499.48**

3.5 बाल अधिकार आयोग

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 वर्ष 2006 में लागू हुआ। इस अधिनियम में बच्चों के खिलाफ अपराधों अथवा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और उनसे जुड़े अन्य मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए राज्य आयोग और बाल अदालतें गठित करने का प्रावधान है। इसके अनुसार सितंबर, 2008 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। आयोग बच्चों से संबंधित शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल विकास, किशोर न्याय, उपेक्षित/अलग–थलग बच्चों, दिव्यांग बच्चों, मुसीबत में फंसे बच्चों से संबंधित मुद्दों तथा बाल मनोविज्ञान और बच्चों से संबंधित कानूनी मुद्दे देखता है। विभाग ने प्रत्येक पुलिस जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को बाल अदालत के रूप में अधिसूचित किया है ताकि उनमें बच्चों के खिलाफ अपराधों या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई की जा सके।

3.6 बाल कल्याण समितियां

सरकार ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 10 बाल कल्याण समितियों और 6 किशोर न्याय बोर्डों का गठन किया है ताकि देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानूनी प्रक्रियाओं में फंसे बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित मामलों में तेजी से और समय पर निर्णय लिया जा सके।

3.7 किशोर कल्याण

महिला और बाल विकास विभाग ने देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानूनी प्रक्रिया में फंसे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार 28 बाल संस्थान गठित किए हैं। इन संस्थानों में शामिल हैं :

- लड़कों के लिए 2 निगरानी गृह
- लड़कियों के लिए 1 निगरानी गृह
- लड़कों के लिए 1 सुरक्षा स्थल
- लड़कियों के लिए 1 सुरक्षा स्थल
- लड़कों के लिए 1 विशेष गृह
- 01 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण संस्था
- 19 बाल गृह
- लड़के और लड़कियों के लिए 2 आफ्टर केयर होम।

उपरोक्त के अलावा वर्तमान में 78 गैर–सरकारी संगठन दिल्ली में बाल देखभाल संस्थान संचालित कर रहे हैं, जिनमें लड़कों और लड़कियों के लिए बाल गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण संस्था, ओपन शेल्टर और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत दिल्ली में पंजीकृत फिट फैसिलिटी शामिल है।

3.8 एकीकृत बाल संरक्षा योजना (आईसीपीएस)

आईसीपीएस योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009 में शुरू की थी। इस योजना का लक्ष्य सभी बच्चों को विचार शील, सुरक्षित और भली भांति संरक्षित जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए संरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। मंत्रालय लागत साझेदारी अनुपात के अनुरूप 'समेकित बाल संरक्षा कार्यक्रम' के कार्यान्वयन के लिए धन प्रदान करता है। राज्य में इस कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। विभाग ने एक राज्य बाल संरक्षण एकक और 11 जिला बाल संरक्षण एकक स्थापित किए हैं ताकि कार्यक्रम के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। वर्तमान में 10 बाल गृहों, 08 खुले आश्रय गृह और 03 विशेषीकृत दत्तक एजेंसियों को एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम, जिसे अब मिशन वात्सल्य कहा जाता है, के जरिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है।

3.9 कारागार में सजा काट रहे माता–पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण योजनाएं

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कारागार में सजा काट रहे माता–पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रम अगस्त, 2014 में अधिसूचित किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे बच्चे को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके जीवित माता या पिता अथवा दोनों कारागार में हों। वित्तीय सहायता की मात्रा पहले बच्चे को 3500/– रुपये प्रति माह और दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त 3000/– रुपये (यदि 3 या उससे अधिक बच्चे होंगे तो अधिकतम राशि 6500/– रुपये प्रति माह होगी)। यह सहायता बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा माता पिता के कारागार से छूटने, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए दी जाएगी। परंतु, यदि कोई बच्चा किसी उपयुक्त संस्थान में रह रहा होगा तो ऐसा बच्चा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2015–16 से 2021–22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान आवंटित निधि, खर्च की गई राशि और कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा नीचे विवरण 17.4 में दिया गया ळें

विवरण 17.4
कारागार में सजा काट रहे माता–पिता के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	30.00	22.45	228
2016-17	30.00	22.11	166
2017-18	30.00	22.18	63
2018-19	30.00	16.60	52
2019-20	30.00	18.36	50
2020-21	30.00	15.92	51
2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	30.00	9.09	49

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

3.10 मानसिक स्वास्थ्य

फरवरी, 2010 में निर्मल छाया परिसर में एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य वहां रहने वाली लड़कियों और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इस इकाई का संचालन एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा किया जा रहा है और निर्मल छाया परिसर में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त महिलाओं को मनोवैज्ञानिक उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य इकाई की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप परिसर में रहने वाली महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की दर में सुधार आया है।

3.11 महिलाओं के लिए कार्यक्रम

2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में महिलाओ की आबादी 77.77 लाख है जो कुल जनसंख्या का 46.41 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की आबादी कुल जनसंख्या का 48.46 प्रतिशत है। दिल्ली में महिला साक्षरता दर 80.34 प्रतिशत है जबकि पुरुष साक्षरता दर 91.03 प्रतिशत और कुल साक्षरता दर 86.34 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की साक्षरता दर 63.46 प्रतिशत है।

3.12 विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता

महिला और बाल विकास विभाग 'विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन' कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। इसके अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं को मासिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं को मासिक पेंशन के रूप में आमदनी का नियमित स्रोत प्रदान करने के लिए वर्ष 2007–08 से चलायी जा रही है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रति माह वित्तीय सहायता रु. 2500 है। यह लाभ पाने के लिए महिला निवास प्रमाण के साथ 5 वर्ष से दिल्ली में रह रही हो, परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए, और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।

विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 2015–16 से 2020–21 के दौरान आवंटित निधि, किए गए व्यय और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा नीचे विवरण 17. 5 में दिया गया है।

विवरण 17.5

संकटग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता कार्यक्रम की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (करोड रु. में)	व्यय (करोड रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	267.58	267.58	1,58,603
2016-17	318.00	317.48	1,76,778
2017-18	513.50	513.27	2,05,079
2018-19	654.45	642.16	2,38,049
2019-20	765.50	738.90	2,50,073
2020-21	895.50	821.83	2,81,267
2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	965.50	693.16	3,10,611

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

3.13 बेसहारा लड़कियों और विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता

इस योजना के अंतर्गत विधवाओं को अपनी बेटी की शादी करने और बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थी का दिल्ली का वास्तविक निवासी होना जरूरी है। यह फायदा किसी परिवार की दो लड़कियों की शादी के लिए ही दिया जाता है। परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। सहायता की वर्तमान दर रुपये 30,000 है।

इस योजना के अंतर्गत 2015–16 से 2021–22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान आवंटित निधि, किए गए व्यय और कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा नीचे विवरण 17.6 में दिया गया है।

विवरण 17.6

बेसहारा लड़कियों और विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2015-16	990.00	983.00	3612
2016-17	990.00	981.90	3273
2017-18	860.00	854.00	2830
2018-19	1200.00	1000.80	3336
2019-20	1300.00	667.80	2239
2020-21	1300.00	763.58	2573
2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	1300.00	499.00	1600

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

3.14 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने दिल्ली में विश्वासनगर, कड़कड़डूमा में कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण किया और दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए एक समझौते के तहत इसे वाईडब्ल्यूसीए को हस्तांतरित कर दिया। इस हॉस्टल में 102 लाभार्थियों के रहने की स्वीकृति प्राप्त हैं। रोहिणी में भी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया गया है। यह हॉस्टल सितंबर 2019 तक काम कर रहा था। इसके बाद इसे बंद कर देने की सूचना विभाग

को दी गई। महिला और बाल विकास विभाग ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर ऐसे और हॉस्टल बनाने/स्थापित करने की योजना बनाई है, जिनके लिए जमीन उपलब्ध (द्वारका, तुगलकाबाद, पीतमपुरा, दिलशादगार्डन, वसंत गांव और जनकपुरी) कर ली गई है।

3.15 महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005

महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग नोडल एजेंसी है। यह कानून 26.10.2006 से लागू हुआ और इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के अधिकारों का अधिक प्रभावी संरक्षण करना है जो अपने परिवार के भीतर ही किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं। कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा के तहत वास्तविक दुर्व्यवहार या गैर–कानूनी तरीके से दहेज की मांग करके पीड़िता या उसके संबंधियों को परेशान करना आता है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए विभाग ने दिल्ली के सभी जिलों के प्रतिनिधित्व के लिए 16 संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये हैं।

3.16 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओं के लिए शेल्टर होम्स

महिला और बाल विकास विभाग ने विशेष रूप से गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली मुसीबतज़दा महिलाओं के लिए सराय रोहिल्ला और जहांगीर पुरी में आश्रय गृह बनाए हैं। इनका प्रबंधन वाईडब्ल्यूसीए दिल्ली कर रहा है। इन गृहों में निःशुल्क भोजन और आवास, चिकित्सा सुविधा विशेषकर प्रसव पूर्व और प्रसव बाद देखभाल उपलब्ध कराई जाती है। इन गृहों में 14 महिलाओं (सराय रोहिल्ला) और 10 महिलओं (जहांगीरपुरी) को रखे जाने की क्षमता है।

3.17 स्व–आधार गृह योजना (सीएसएस)

स्व–आधार गृह योजना केंद्र प्रायोजित महिला संरक्षण और सशक्तिकरण योजना की एक उपयोजना है। स्व–आधार गृह योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं :

- आपदाग्रस्त महिलाओं और सामाजिक एवं आर्थिक सहायता से रहित महिलाओं की आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार की प्राथमिक जरूरतें पूरी करना और देखभाल की व्यवस्था करना।
- दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के कारण क्षतिग्रस्त हुई भावात्मक शक्ति फिर से हासिल करने में उन्हें सक्षम बनाना।
- उन्हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि परिवार/समाज में उन्हें फिर से समायोजित करने के उपाय किये जा सके।
- उनका आर्थिक और भावात्मक पुनर्वास करना।
- एक ऐसी सहायता प्रणाली के रूप में काम करना जो आपदाग्रस्त महिलाओं की विभिन्न जरूरतों को समझ सके और उन्हें पूरा कर सके।

उन्हें गरिमापूर्ण और विश्वास के साथ फिर से नया जीवन शुरू करने में सक्षम बनाना।

इसके लाभार्थियों में विधवाएं, परिवारों और संबंधियों द्वारा परित्यक्त महिलाएं, जेल से रिहा और किसी पारिवारिक सहयोग से वंचित महिला कैदी, प्राकृतिक आपदाओं से बच गई महिलाएं, आतंकवादी/उग्रवादी हिंसा से पीड़ित महिलाएं और बेसहारा महिलाएं शामिल हैं। यह योजना ऐसी महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, आवश्यक परामर्श, चिकित्सा और कानूनी सहायता तथा

देखभाल उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार स्व–आधार गृहों के लिए दिल्ली सरकार के माध्यम से शत–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है।

भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित लघु अवधि आश्रय स्थल को स्व–आधार गृह में बदल दिया है। ये गृह– अखिल भारतीय महिला कांफ्रेंस द्वारा संचालित बापनू घर और महिला दक्षता समिति से संचालित स्नेहालय हैं। स्व–आधार गृह के तहत संचालित प्रत्येक गृह में 30 महिलाओं को रखने की क्षमता है।

3.18 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) : मातृत्व लाभ योजना

पहली जनवरी 2017 से आरंभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 के प्रावधानों के अनुरूप देश के सभी जिलों में लागू की गई है। इसका उद्देश्य पारिश्रमिक की नकद आंशिक भरपाई करना है, ताकि पहले बच्चे के प्रसव के पूर्व और बाद में महिलाओं को पर्याप्त आराम मिल सके। इसके तहत रुपये 5000/– की नकद प्रोत्साहन राशि गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के बैंक/डाकघर खाते में सीधे अंतरित की जाती है। इसकी लागत केंद्र और राज्य 60 : 40 के अनुपात में साझा करते हैं।

3.18.1 लक्षित लाभार्थी

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में काम कर रही गर्भवती महिलाएं या दूध पिलाने वाली माताएं या किसी अन्य कानून के तहत समान लाभ ले रही महिलाओं को छोड़कर पहली जनवरी 2017 को या इसके बाद गर्भवती हुई सभी महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए यह लाभ मिलेगा।

3.18.2 गर्भवती और दूध पिलाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिकाएं/आशा कार्यकता भी योजना की शर्तों को पूरा करने पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं।

3.18.3 लाभ

तीन किस्तों में 5000/– रुपये नकद, अर्थात् 1000/– रुपये की पहली किस्त आंगनवाड़ी केंद्र/स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्र (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था के अनुरूप) में गर्भावस्था के आरंभिक पंजीकरण पर, 2000/– रुपये की दूसरी किस्त गर्भावस्था के छठे महीने के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच कराने पर, और 2000/–रुपये की तीसरी किस्त शिशु जन्म के पंजीकरण और शिशु के बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी या इसके समतुल्य/विकल्प का पहला चक्र लगा लेने पर।

पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत लाभ भी मिलेंगे। इस प्रकार एक महिला को मातृत्व लाभ के अंतर्गत औसतन 6000/–रुपये की राशि मिलेगी।

3.18.4 मौजूदा स्थिति

योजना के आरंभ से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में नामांकित लाभार्थियों की संख्या 3,20,457 (जनवरी 2017 से जनवरी 2022 तक) हो चुकी है और कुल राशि 120.2133 करोड़ (जनवरी 2017 से जनवरी 2022 तक) रुपये वितरित की जा चुकी है।

2021–22 में (जनवरी 2022 तक) 63,486 लाभार्थियों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया और जनवरी 2022 तक 29.1477 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

3.19 पोषण अभियान 2.0 (सीएसएस)

3.19.1 पोषण संकेतकों में किसी तरह की गिरावट रोकने के लिए पोषण अभियान 2.0 फरवरी 2021 में शुरू किया गया था। देश में अनेक पोषण योजनाओं को एकीकृत करने पर ध्यान केन्द्रित करने और संसाधन समर्पित करने के सरकार निर्णय को देखते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा की गई। पोषण अभियान 2.0 एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) – जैसे आंगनवाड़ी सेवाएं, पूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, को एक साथ लाता है।

3.19.2 पोषण अभियान का उद्देश्य जीवन शैली में बदलाव लाकर कुपोषण कम करना और समुचित तालमेल से लक्षित परिणाम हासिल करना है। इस मिशन का लक्ष्य 0–6 वर्ष आयु तक के बच्चों में विकास रुकने की समस्या का प्रतिशत 38.4 से कम कर 2022 तक 25 प्रतिशत पर लाना है। इसके साथ ही 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं और किशोर लड़कियों में रक्ताल्पता यानी एनीमिया का स्तर नीचे लाना तथा जन्म के समय कम वजन की समस्या दूर करना है।

3.19.3 पोषण अभियान अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पोषण कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने, गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष तक के बच्चों की माताओं को समुचित परामर्श देने, समाज और परिवार के व्यवहार में अंतर लाने, सामुदायिक पोषण और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा राज्यों के लिए प्रोत्साहन आधारित प्रदर्शन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा पोषण का प्रभाव मालूम करने के लिए महत्वपूर्ण 1000 दिन की निगरानी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम नागरिक भागीदारी और शिकायत निपटान प्रणाली शुरू करने तथा लाभार्थियों तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए सेवाओं के प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से मोबाइल आधारित सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाता है।

3.19.4 पोषण अभियान 95 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 10755 आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी 11 जिलों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11500 स्मॉर्टफोन (सेमसंग जे–4+) और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 10897 विकास निगरानी उपकरण सेट (इन्फेंट मीटर, स्टेडियो मीटर, वेट स्केल (शिशु) और वेट स्केल (मां एवं शिशु) दिए गए हैं।

3.19.5 कॉनन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम (सीएएस–ट्रेनिंग)–भारत सरकार द्वारा 365 सुपरवाइजरों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। 9974 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जनवरी 2020 तक 4 चरणों में प्रशिक्षित किया गया।

3.19.6 2018–19 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के अंतर्गत समुदाय आधारित कार्यक्रम और जन आंदोलन संचालित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान हासिल किया था।

3.19.7 पोषण माह सितंबर 2021

सामुदायिक एकीकरण सुनिश्चित करने और जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से देशभर में हर वर्ष सितम्बर को राष्ट्रीय पोषण माह, के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने को देखते हुए, तीव्र एवं गहन पहुंच सुनिश्चित करने के वास्ते समूचे माह को साप्ताहिक विषयों में विभिजित किया गया ताकि समग्र पोषण सुधार की दिशा में संकेन्द्रित और समेकित दृष्टिकोण अपनाया जा सके। माह के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गईं, जैसे ''पोषण वाटिका'' के रूप में वृक्षारोपण अभियान, पोषण के लिए योग और आयुष, आंगनवाड़ी लाभार्थियों की अधिकता वाले जिलों में ''क्षेत्रीय पोषण किट'' वितरित करना और एसएएम (अति कुपोषित) बच्चो की पहचान तथा उनमें पोष्टिक भोजन का वितरण। विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों में कारग़र समन्वय सुनिश्चित करने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) की बैठक आयोजित की गई। जिलधीशों की अध्यक्षता में जिला समन्वय एवं पोषण समितियों की बैठकें भी आयोजित की गई ताकि पोषण घटकों की संदर्भ में प्रगति और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

3.19.8 पोषण अभियान योजना के अतर्गत वर्ष 2020–21 में 7.66 करोड़ रुपये और 2021–22 में (दिसंबर 2021 तक) 1.86 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

3.20 दिल्ली महिला आयोग

दिल्ली महिला आयोग की स्थापना 1996 में की गई थी, इसका उद्देश्य संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा के उल्लंघन के मामलों को देखना है। आयोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करता है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

- **महिला पंचायत** : इस कार्यक्रम के तहत समुदाय स्तर तक पहुंच बनाने के लिए समाज के निचले स्तर पर महिला पंचायतों का एक नेटवर्क कायम किया गया है। दिसंबर 2021 तक 219 महिला पंचायतें स्थापित की गई हैं।
- **मोबाइल हेल्पलाइन** : दिल्ली महिला आयोग ने मोबाइल हेल्पलाइन शुरू की है। आयोग वर्तमान में 11 जिलों में 23 मोबाइल वैन संचालित कर रहा है।
- **संकट हस्तक्षेप केंद्र** : यह कार्यक्रम दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके परिवारों के लिए एक सहयोग व्यवस्था है। संकट हस्तक्षेप केंद्रों का लक्ष्य और उद्देश्य ऐसी स्थिति में पीड़िताओं को मदद/सहारा प्रदान करना है, जब वे दुष्कर्म के कारण मानसिक सदमें से गुजर रही होती हैं। यह प्रणाली स्वयंसेवी संगठनों के जरिए काम करती है, जो पीड़िता और उनके परिवार को सदमे से उबरने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करते हैं। संकट हस्तक्षेप कार्यक्रम आउटसोर्स आधार पर कार्य करता है।
- **दुष्कर्म संकट प्रकोष्ठ** : इस प्रकोष्ठ का प्रमुख दायित्व दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके परिवार वालों को तत्काल राहत, भावनात्मक सहयोग और परामर्श तथा प्राथमिकी दर्ज करने और आगे की कार्रवाई पर नजर रखने में सहायता प्रदान करना है ताकि वे हमले से हुए सदमे से उबर सकें। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के समय से लेकर मामले को अंतिम मुकाम पर पहुंचाने तक यौन दुष्कर्म पीड़िता को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
- **'181' संकटग्रस्त महिलाएं हेल्पलाइन** : 181 महिला हेल्पलाइन का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान

करना है। यह फोन, रेफरल, मार्गदर्शन और परामर्श के माध्यम से संकट और गैर–संकट हस्तक्षेप की सुविधा के लिए एक टोल फ्री दूरसंचार सेवा है। माननीय प्रभारी मंत्री, डब्लूसीडी के दिनांक 11.02.2016 आदेशानुसार स्टाफ के साथ 181–संकटगस्त महिला, हेल्पलाइन, दिल्ली महिला आयोग में स्थानांतरित की गई थीं। डीसीडब्ल्यू द्वारा दिए आकंड़े दे अनुसार, पिछले एक साल में 181 महिला हेल्पलाइन ने 2,00,335 फोन कॉल का निपटान किया है। महिला और बाल विकास विभाग ने फोन कॉल पर बातचीत के दौरान उठाए जाने वाले अन्य उपायों के बारे में महिला हेल्पलाइन के टेलीकॉलर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।

4. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों के लिए कल्याण कार्यक्रम

4.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति

4.1.1 दिल्ली सरकार ने 2006 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए **''वरिष्ठ नागरिक नीति''** बनायी है। नीति में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने और उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने की व्यवस्था की गयी है। इसमें उन्हें सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है ताकि वे वृद्धावस्था की समस्याओं से निपट सकें। नीति में सरकारी विभागों द्वारा नागरिक समाज के सहयोग से यह सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा सार्वजनिक सुविधाएं ज्यादा सुगम और उनकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील हों। दिल्ली सरकार ऐसी जन शिक्षा प्रणाली बनाने के बारे में भी विचार करेगी जिससे लोगों को वृद्धावस्था के लिए तैयार किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाद के वर्षों में वे आर्थिक रूप से सबल रह कर गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

4.2 वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता (वृद्धावस्था पेंशन)

4.2.1 यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आवेदन ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर किए जाते हैं। इस योजना के तहत बैंक में लाभार्थियों के बचत खाते में आधार संख्या या खाता संख्या के अनुरूप मासिक आधार पर वित्तीय सहयोग पीएफएमएस पोर्टल के जरिए अंतरित किया जाता है। 60 साल या अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग जो पांच साल से दिल्ली में रह रहे हों, जिनके पास यहां रहने का प्रमाण हो और जिनकी सालाना पारिवारिक आमदनी (आवेदक और पति या पत्नी की) 100,000 रुपये से कम हो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक के पास अधिसूचना में सूचीबद्ध अनुसार पहचान संबंधी वैध प्रमाणपत्र होना जरूरी है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता 2500 रुपये प्रति माह दी जाती है जबकि 60–69 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 2000 रुपये महीना वित्तीय सहायता दी जाती है।अजा/अजजा/अल्प संख्यक श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों (60–69 वर्ष के बीच आयु समूह के) को सम्बद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सामान्य पेंशन के अलावा 500 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। ये दरें अप्रैल, 2017 से प्रभावी हैं (इससे पहले क्रमशः 1500 रुपये प्रतिमाह और 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी)।

4.2.2 वर्ष 2012–13 से 2021–22 (दिसंबर, 2021) तक दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन संबंधी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धन, किए गए व्यय और लाभार्थियों का ब्यौरा विवरण 17.7 में दिया गया है।

विवरण 17.7

वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2012-13	563.20	558.34	386068
2	2013-14	541.00	537.88	375668
3	2014-15	558.00	532.24	331881
4.	2015-16	608.79	607.79	388471
5.	2016-17	682.00	638.48	381849
6	2017-18	1065.00	984.72	437896
7.	2018-19	1299.00	1255.90	441999
8.	2019-20	1344.00	1342.63	463945
9.	2020-21	1324.00	1137.34	424920
10.	2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	1474.00	979.11	429444

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, राराक्षेदिस

4.3 ओल्ड एज होम्स (वृद्धाश्रम)

4.3.1 ओल्ड एज होम्स बनाने' की योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा स्थान प्रदान करना है जहां वे सद्भावपूर्ण वातावरण में गरिमापूर्वक रह सकें। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दो **वृद्धावस्था आश्रम** स्थापित किए हैं– बिंदापुर और वजीरपुर'।

4.3.2 वृद्धावस्था आश्रम में ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :–

- सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों में निःशुल्क रहने/भोजन की व्यवस्था।
- चिकित्सा देखभाल और परामर्श तथा
- मनोरंजन सुविधाएं और पुनर्वास कार्यक्रम

4.3.3 वृद्धावस्था आश्रम इन लोगों के लिए हैं :

- वरिष्ठ नागरिक अर्थात् 60 वर्ष और उससे ऊपर आयु के लोग।
- ऐसे व्यक्ति जिन्हें सहायता देने वाला या देखभाल करने वाला कोई न हो।
- ऐसे व्यक्ति जो किसी संक्रामक/संचारी रोग से पीड़ित न हों। और
- रा.रा.क्षे. दिल्ली के निवासी।

4.3.4 समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और जरूरतें पूरी करने के लिए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य वृद्धाश्रमों के निर्माण की योजना बनाई है। ये क्षेत्र हैं – चितरंजनपार्क, रोहिणी, छतरपुर, जनकपुरी, सरिता विहार और वसंतकुंज।

4.4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन सुविधाएं

4.4.1 दिल्ली सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए मनोरंजन केन्द्र उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम चलाया गया है। ये केंद्र दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को खुशहाली और समग्र विकास के अवसर प्रदान करते हैं। मनोरंजन केंद्रों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को समय बिताने और सामाजिक सरोकार बनाए रखने का अवसर प्रदान

करना है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवारों के साथ जोड़ने में मदद मिलती है। सरकार मनोरंजन केंद्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्वयंसेवी संगठन/संस्था/निवासी कल्याण संघ को एकबारगी अनुदान के रूप में रु. 75,000/– प्रदान करती है और प्रचालन व्यय के लिए 20,000/– रुपये की आवर्ती अनुदान सहायता दी जाती है।

4.4.2 वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली में संचालित 143 मनोरंजन केंद्रों के लिए दिल्ली सरकार ने अनुदान के रूप में 64.13 लाख रुपये खर्च किए। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के 150 मनोरंजन केंद कार्यरत थे और उन पर 91.46 लाख रुपये (दिसंबर, 2021 तक) खर्च किये गए।

4.5 भरणपोषण न्यायाधिकरण

4.5.1 दिल्ली सरकार ने सभी 11 जिलों में 11 भरणपोषण न्यायाधिकरण स्थापित किये हैं जो बुजुर्गों के निर्वाह तथा कल्याण के लिए माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत मान्य, और अधिक कारगर प्रावधानों की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक जिले का एडीएम भरण–पोषण न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष होता है और उसके अलावा दो गैर–सरकारी सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला होती है।

4.5.2 इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता जो स्वयं भरण पोषण में सक्षम न हों, अथवा जिनके बच्चे उन्हें स्वयं की आय से या व्यक्ति द्वारा बनाई गई संपत्ति से भरण पोषण न कर रहे हों, ऐसा व्यक्ति भरण पोषण के लिए बच्चों के खिलाफ अर्जी देने का हकदार है।

- **अपीलीय प्राधिकरण**

  दिल्ली सरकार ने भरण पोषण अधिनियम 2007 के संदर्भ में सभी 11 जिलों में अपीलीय न्यायाधिकरणों को अधिसूचित कर गठित किया है। प्रत्येक जिले में अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष उपायुक्त (राजस्व) को बनाया गया है और उनके साथ दो गैर–सरकारी सदस्य होते हैं जिनमें से एक महिला होती है।

  दिल्ली के सभी 11 जिलों में 2014–15 और 2019–20 की अवधि में भरण पोषण न्यायाधिकरणों में दाखिल किए गए और निपटाए गए मामलों की कुल संख्या की जानकारी नीचे विवरण 17.8 में दी गई है।

विवरण 17.8

भरण पोषण ट्राइब्यूनल में दाखिल मामलों और निपटाए गए मामलों की संख्या

वर्ष	दर्ज मामले	निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में बकाया मामले
2014-15	361	321	40
2015-16	433	363	70
2016-17	233	191	42
2017-18	623	152	471
2018-19	724	407	317
2019-20	397	245	152

स्रोत : समाज कल्याण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

5. विशेष रूप से सक्षम लोगों का कल्याण

5.1 भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांगजन सहित एक समावेशी समाज का स्पष्ट प्रावधान करता है। समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भिन्न दृष्टि से सक्षम व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक नोडल विभाग है। विभाग ''दिव्यांगजन को स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम बनाने के लिए सहायता पहुंचाने'' के तथ्य में विश्वास रखता है।

5.2 दिल्ली सरकार अपने विभिन्न पहल और कार्यक्रमों के जरिए दिव्यांगजन को पूरी सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे भागीदारीपूर्ण जीवन जी सकें और समाज के प्रत्येक पक्ष में समान रूप से शामिल हो सकें। 1995 के पूर्व अधिनियम के स्थान पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आने के साथ दिव्यांगजन कल्याण के दायरे में 21 नए प्रकार की दिव्यांगता शामिल की गई है। 1995 के अधिनियम में केवल 7 प्रकार की विकलांगता शामिल थी।

5.3 दिव्यांगजन के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग आश्रय गृह और विद्यालय संचालित कर रहा है :

- मूक–बधिरों के लिए 5 स्कूल।
- मानसिक रूप से बाधित लोगों के लिए 6 गृह।
- मानसिक रूप से बाधित बच्चों के लिए एक विद्यालय।
- दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक विद्यालय।
- स्कूल और कालेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए एक छात्रावास।
- एक प्रशिक्षण सह–उत्पादन केंद्र।
- विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए एक आश्रय कार्यशाला।

5.4 ''राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम'' (एनपीआरपीडी) के अंतर्गत दो तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है जैसे सामान्य विकलांगता शिविर और विशेष विकलांगता शिविर। ये शिविर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिल्ली के सभी जिलों में लगाए जाते हैं। सामान्य विकलांगता शिविर प्रत्येक जिले में अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दिव्यांगजन को विकलांगता प्रमाणपत्र, डीटीसी पास, उपायुक्त कार्यालय द्वारा पहचान पत्र, एकीकृत स्कूल रेलवे रियायत पास के लिए पंजीकरण आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और दिव्यांगजन को निःशुल्क सहायता एवं उपकरण प्रदान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाते है।

5.5 विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 2014–15 से 2019–20 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय, आयोजित शिविर और लाभार्थियों के बारे में जानकारी विवरण 17.9 में दी गई है :

विवरण 17.9

राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	व्यय (लाख रुपये)	निम्नांकित की संख्या	
			शिविर	लाभान्वित
1	2014-15	6.83	08	3242
2	2015-16	9.37	14	5000
3	2016-17	3.49	11	6000
4	2017-18	0.21	-	-
5	2018-19	0.00	-	-
6	2019-20	3.00	05	2600

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, रारा‌क्षेदिस

5.6 कोविड महामारी के प्रकोप के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में किसी सामान्य विकलांगता शिविर का आयोजन नहीं किया गया। इस लिए इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 2021–22 के दौरान, समाज कल्याण विभाग 30 विशिष्ट विकलांगता/सामान्य विगलांगता शिविरों का आयोजन करने पर विचार कर रहा है ताकि स्वावलम्बन पोर्टल पर लम्बित यूडीआईडी कार्डों का निपटान किया जा सके।

5.7 समाज कल्याण विभाग 'विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले ऐसे लोगों को आजीवन (जन्म से मृत्यु तक) 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनके पास आवेदन करने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक दिल्ली में रहने का आवास प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। आवेदकों के परिवार की आय 100,000 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह दर फरवरी 2017 से लागू है (पहले यह 1500 रुपये प्रति माह थी)।

5.8 विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता' कार्यक्रम के अंतर्गत 2010–11 से 2021–22 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय और लाभार्थियों के बारे में जानकारी 17.10 में दी गई है :

विवरण 17.10

दिल्ली में 'विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता'

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपये)	व्यय (करोड़ रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1	2010-11	26.50	17.86	25691
2	2011-12	28.50	27.52	26622
3	2012-13	58.00	57.41	36809
4	2013-14	78.00	75.82	45471
5	2014-15	92.00	78.68	41043
6.	2015-16	108.71	108.42	60657
7	2016-17	137.00	135.52	71581
8.	2017-18	200.00	196.03	76263
9	2018-19	265.00	262.26	87196
10.	2019-20	291.35	290.02	95324
11.	2020-21	317.35	279.17	101750
12.	2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	320.35	261.92	111790

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, रारा‌क्षेदिस

5.9 दिल्ली सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के सुविधाजनक पुनर्वास के लिए 5 हॉफ–वे/लोंग–वे स्टे–होम्स बनाए हैं, जिन्होंने अस्पताल में उपचार के बाद मानसिक रोग पर नियंत्रण पा लिया हो। ये स्टे होम्स द्वारका (01 यूनिट), रोहिणी सेक्टर–3 (02 यूनिट), रोहिणी सेक्टर 22 (01 यूनिट) और नरेला (01 यूनिट) में हैं।

5.10 इन स्टे होम्स में से चार हॉफ–वे होम्स संचालित/स्थापित हैं (प्रथम तीन होम्स वर्ष 2017 से संचालित हैं और क्रमांक (iv) पर वर्णित एक होम द्वारका में दिसम्बर 2021 से संचालित है)। वर्तमान में इन स्टे–होम्स में निम्नलिखित संख्या में लोग रह रहे हैं।

क्र सं	नाम और पता	स्वीकृत क्षमता	मौजूदा संख्या (रहने वालों की)
i.	''नव किरण'–1 (महिलाओं के लिए) रोहिणी सेक्टर 3 में	40	36
ii.	''नव किरण'–2 (महिलाओं के लिए) रोहिणी सेक्टर 3 में	40	38
iii.	'नव चेतना' –(पुरुषों के लिए) रोहिणी सेक्टर 22 में	25	13
iv	'नव रचना' (महिलाओं के लिए) द्वारका सेक्टर 3 में	50	05

6. परिवार लाभ योजना

6.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब लोगों को परिवार की रोजी–रोटी कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने पर एकबारगी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत परिवार के मुखिया की मौत पर 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ऐसा करते समय यह ध्यान में नहीं रखा जाता कि मौत किस कारण (प्राकृतिक या दुर्घटना आदि) से हुई है। मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात् मृत्यु के समय रोटी कमाने वाले की परिभाषा परिवार के उस सदस्य के रूप में की गई है, जिसकी आमदनी का अनुपात परिवार की आय में सबसे अधिक हो।

6.2 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 2010–11 से 2021–22 की अवधि में आवंटित धन, किए गए व्यय और लाभार्थियों का ब्यौरा विवरण 17.11 में दिया गया है।

विवरण 17.11
राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपये)	व्यय (करोड़ रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1	2010-11	2.15	2.08	2077
2	2011-12	2.58	2.53	2534
3	2012-13	2.70	2.69	2694
4	2013-14	3.10	2.83	2827
5	2014-15	3.60	3.37	3372
6.	2015-16	5.50	5.39	5396
7.	2016-17	7.00	7.00	7000
8.	2017-18	12.62	9.01	4510
9.	2018-19	14.00	11.61	5840
10.	2019-20	24.70	21.30	10729
11	2020-21	29.70	27.23	13676
12	2021-22 दिसंबर 2021 तक)	29.70	26.65	12833

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, राराक्षेदिस

7. कुष्ठ रोगियों का कल्याण

कुष्ठ रोग पीड़ित लोगों के लिए कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र की स्थापना वर्ष 1980–81 में की गयी। सितंबर 2018 से समाज कल्याण विभाग कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र के लाभार्थियों को 3000 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है (पहले यह राशि 1800 रुपये प्रति माह थी)। अधिकतर लाभार्थी दिल्ली के विभिन्न इलाकों, जैसे ताहिरपुर (यमुनापार), आर.के. पुरम, श्रीनिवासपुरी और पटेल नगर आदि इलाकों में रहते हैं। कुष्ठ पीड़ितों की सबसे बड़ी कालोनी ताहिरपुर में है जहां इन लोगों के लिए आश्रय कार्यशाला और प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र भी है। इन केन्द्रों में विभाग उत्पादन गतिविधियों के लिए सुविधा भी प्रदान करता है ताकि कुष्ठ रोगी आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होकर जीवन यापन कर सकें। इन केन्द्रों में विभाग की ओर से हथकरघा बुनाई, जूते और चॉक बनाने और मोमबत्ती बनाने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अभी लगभग 562 लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह की दर से भत्ता मिल रहा है।

8. मुख्यमंत्री कोविड–19 परिवार वित्तीय सहायता कार्यक्रम

मुख्यमंत्री कोविड–19 परिवार वित्तीय सहायता कार्यक्रम का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया। इसका लक्ष्य काविड–19 के कारण आजीविका कमाने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने की स्थिति मे परिवार को रूपये 2500/– प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस कार्यक्रम के लिए पात्रता की शर्तें और पेंशन की राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

स्थिति (कोविड–19 के कारण परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर)	पात्र आश्रित	राशि
पति		रूपये 2500/– प्रतिमाह आजीवन
पत्नी		रूपये 2500/– प्रतिमाह आजीवन
एकल माता–पिता (अन्य पिता/माता की पहले ही मृत्यु हो चुकी हो (कोविड के कारण या अन्यथा)/विलग/तलाकशुदा	25 वर्ष से कम आयु की प्रत्येक संतान (बालक/बालिका)।	मृतक माता–पिता की प्रत्येक संतान को रूपये 2500/– प्रतिमाह 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक।
पति और पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर	25 वर्ष से कम आयु की प्रत्येक संतान (बालक/बालिका)। निःसंतान होने की स्थिति में पिता या माता को	मृतक माता–पिता की प्रत्येक संतान को रूपये 2500/– प्रतिमाह 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। रूपये 2500/– प्रतिमाह आजीवन (पिता या माता के मामले में–केवल एक को सहायता मिलेगी)।
अविवाहित श्रमिक पुत्र/पुत्री	पिता या माता	रूपये 2500/– प्रतिमाह आजीवन
भाई/बहन	आश्रित भाई /बहन को बशर्ते वे शारीरिक या मानसिक दृष्टि से बाधित हों।	रूपये 2500/– प्रतिमाह आजीवन

विवरण 17.12
मुख्यमंत्री कोविड–19 परिवार वित्तीय सहायता कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	परिव्यय	व्यय	लाभार्थियों की संख्या
01	2021–22 (दिसंबर 2021 तक)	41	6.72	9966

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यकों का कल्याण

9.1 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी (167.88 लाख) में अनुसूचित जातियों (अजा) की आबादी 28.12 लाख है, जो दिल्ली की कुल आबादी का 16.75 प्रतिशत है। रा.रा.क्षे दिल्ली में अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी नहीं है, क्योंकि शहर में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। अभी तक दिल्ली पिछड़ा आयोग ने दिल्ली में 65 जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के रूप में अधिसूचित किया है, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के बारे में कोई प्रामाणिक आकलन उपलब्ध नहीं हैं। पिछली चार जनगणनाओं में दिल्ली की स्थानीय निकाय वार अनुसूचित जाति आबादी सम्बन्धी जानकारी नीचे विवरण 17.13 में दी गई है।

विवरण 17.13
अनुसूचित जाति की स्थानीय निकाय वार आबादीः 1981–2011

क्र.स.	स्थानीय निकाय	1981	1991	2001	2011
1.	**दिल्ली नगर निगम**				
	पुरुष	5,89,317	9,40,191	12,24,992	14,53,597
	महिला	4,81,000	7,85,560	10,44,156	12,92,608
	कुल	10,70,317	17,25,751	22,69,148	27,46,205
2.	**नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)**				
	पुरुष	20,967	30,043	29,919	26,545
	महिला	15,512	23,887	25,294	23,062
	कुल	36,479	53,930	52,213	49,607
3.	**दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)**				
	पुरुष	8,266	8,456	10,271	8,658
	महिला	6,581	6,699	8,623	7,839
	कुल	14,847	15,155	18,894	16,497
4.	**कुल योग**	11,21,643	17,94,836	23,43,255	28,12,309

स्रोतः दिल्ली सांख्यिकी हैंड बुक

9.2 1961–1991 के दौरान दिल्ली की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करीब 53 प्रतिशत रही, जो 1991–2001 की अवधि में घट कर 47 प्रतिशत और 2001–2011 के दशक में और भी घट कर 21. 20 प्रतिशत रह गई। 1991–2001 में अनुसूचित जातियों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961–1991 की दिल्ली की कुल जनसंख्या वृद्धि दर से ऊपर रही, परंतु 2001 की जनगणना में

यह प्रवृत्ति एकदम विपरीत हो गई जब कुल जनसंख्या वृद्धि दर 47 प्रतिशत की तुलना में अजा आबादी में वृद्धि 30.56 प्रतिशत की हुई। 2011 की जनगणना के दौरान इसमें फिर कमी आई और यह 2001–2011 की अवधि में कुल जनसंख्या वृद्धि दर यानी 21.20 प्रतिशत की तुलना में 20.02 प्रतिशत दर्ज हुई। दिल्ली में पिछले छह दशकों में अनुसूचित जाति की आबादी में वृद्धि विवरण 17.14 में दी गई है।

विवरण 17.14
दिल्ली में अनुसूचित जाति की आबादी में दशकीय बढ़ोतरी

क्र.स.	जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या में वृद्धि (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति की आबादी में वृद्धि (प्रतिशत)
1.	1961	52.44	63.73
2.	1971	52.93	86.12
3.	1981	53.00	76.44
4.	1991	51.45	60.00
5.	2001	47.02	30.56
6.	2011	21.20	20.02

स्रोत : जनगणना हैंडबुक–2011, भारत के महापंजीयक

9.3 दिल्ली में पिछली 7 जनगणनाओं के दौरान अनुसूचित जाति की आबादी का ग्रामीण–शहरी वर्गीकरण विवरण 17.15 में दिया गया है।

विवरण 17.15
अनुसूचित जाति की शहरी–ग्रामीण आबादी

क्र.स.	जनगणना वर्ष	शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	1951	1,44,619	63,993	2,08,612
2.	1961	2,72,243	69,312	3,41,555
3.	1971	5,30,699	1,04,999	6,35,698
4.	1981	10,17,631	1,04,012	11,21,643
5.	1991	15,87,127	2,07,709	17,94,836
6.	2001	21,54,877	1,88,378	23,43,255
7.	2011	27,30,126	82,183	28,12,309

स्रोतः जनगणना हैंडबुक–2011, भारत के महापंजीयक

9.4 दिल्ली की आबादी और अनुसूचित जातियों की कुल आबादी का साक्षरता दर विवरण 17.16 में प्रदर्शित किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जातियों में साक्षरता का स्तर लगातार बढ़ता गया है और यह 1961 के 20.86 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 70.85 प्रतिशत और 2011 में बढ़ कर 78.89 प्रतिशत हो गई। हालांकि 2011 में अनुसूचित जाति की आबादी की साक्षरता दर दिल्ली की साक्षरता दर 86.20 प्रतिशत से कम थी। लेकिन यह 63.07 प्रतिशत की साक्षरता की राष्ट्रीय दर से काफी ऊंची थीं।

विवरण 17.16

दिल्ली में कुल जनसंख्या और अनुसूचित जाति आबादी की साक्षरता दर

(प्रतिशत)

क्र.स.	वर्ष	कुल आबादी			अनुसूचित जाति की आबादी		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	1961	60.75	42.55	52.75	32.15	6.80	20.86
2.	1971	63.71	47.75	56.61	39.22	14.32	28.15
3.	1981	68.40	53.07	61.54	50.21	25.89	39.30
4.	1991	82.01	66.99	75.29	68.77	43.82	57.60
5.	2001	87.33	74.71	81.67	80.77	59.07	70.85
6.	2011	90.90	80.80	86.20	86.77	70.01	78.89

स्रोत : जनगणना हैंडबुक–2011, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त

9.5 दिल्ली में 2011 में अनुसूचित जाति कार्मिकों की संख्या 9.01 लाख थी, जो कुल कार्मिक आबादी (55.87 लाख) का 16.14 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों की 28.12 लाख की आबादी में से 32.06 प्रतिशत अजा आबादी नियोजित है जबकि दिल्ली की कुल आबादी 31.60 प्रतिशत नियोजित है।

10. रा.रा.क्षे. दिल्ली की अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी)

अनुसूचित जाति समुदाय का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) लागू की जा रही है। वार्षिक योजना के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के सामाजिक/आर्थिक विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया गया है। पिछले दस वर्षों के दौरान उप–योजना की प्रगति सम्बन्धी जानकारी नीचे विवरण 17.17 में दी गई है।

विवरण 17.17

स्वीकृत परिव्यय और एससीएसपी घटक

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वर्ष	स्वीकृत परिव्यय	एससीएसपी घटक	प्रतिशत
1	2010-11	11400	1931.56	16.94
2	2011-12	14200	2419.95	17.04
3	2012-13	15000	2760.46	18.40
4	2013-14	16000	3003.25	18.77
5	2014-15	16700	2797.25	16.75
6	2015-16	19000	3470.39	18.27
7	2016-17	20600	3603.86	17.49
8.	2017-18*	18500	3773.84	20.39
9.	2018-19	22000	4232.31	19.24
10.	2019-20	27000	5181.77	19.19
11.	2020-21	65000		
12.	2021-22	69000		

**2017–18 से योजना और गैर–योजना का विलय कर दिया गया है और अब परिव्यय स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिए है।*

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग, राराक्षेदिस

11. कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियां

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए पिछले 14 वर्ष में लागू की गई योजनाओं की प्रगति की संक्षिप्त जानकारी विवरण 17.18 में दी गई है।

विवरण 17.18

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लागूयोजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वार्षिक योजना	परिव्यय	व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत)
1.	2007-08	50.75	50.06	98.64
2.	2008-09	50.02	49.22	98.40
3.	2009-10	45.85	41.72	90.99
4.	2010-11	89.60	71.12	79.38
5.	2011-12	250.00	233.66	93.46
6.	2012-13	325.00	277.70	85.45
7.	2013-14	330.00	254.77	77.20
8.	2014-15	314.00	234.55	74.70
9.	2015-16	378.00	297.03	78.58
10.	2016-17	385.00	116.07	30.15
11.	2017-18	366.00	282.43	77.17
12.	2018-19	333.00	268.23	80.55
13.	2019-20	396.90	295.26	74.39
14.	2020-21	265.00	47.66	17.98
15.	2021-22	425.00	68.20 (दिसंबर 2021 तक)	16.04

12.1 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों/विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना (जिसे पहले स्टेशनरी खरीदने और प्रतिभा छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय सहायता के रूप में जाना जाता था) लागू की जा रही है। केंद्र सरकार/दिल्ली सरकार/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/स्थानीय निकाय विद्यालयों आदि में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है। कक्षा IX से X में पढ़ने वाले छात्र को रू 5000/–प्रति वर्ष और कक्षा XI से XII में पढ़ने वाले छात्र को रू10000/– की राशि प्रति वर्ष प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए कोई पारिवारिक आय मानदंड नहीं है, जबकि अन्य छात्रों के लिए इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय रू 8 लाख से कम होनी चाहिए। यदि छात्र पिछली कक्षा में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, तो आय कोई सीमा लागू नहीं होती। इस योजना के तहत 2020–21 के दौरान रू 10.87 करोड़ का व्यय किया गया।

12.2 कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति

दिल्ली सरकार अजा/अजजा अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 1000/– रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। दिल्ली सरकार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए पिछली कक्षा में उनके प्रतिशत अंकों के आधार पर, जो (क) अपिव श्रेणी के मामले में कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 600 रुपये से 4500 रुपये वार्षिक और (ख) कक्षा 9 से 12वीं कक्षा तक के अजा/अजजा/अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध विद्यार्थियों को 1620 रुपये से 4500 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। अजा/अजजा समुदायों के लिए पारिवारिक आय का कोई मानदंड नहीं रखा गया है। परंतु, अपिव और अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए परिवार की आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में 63.19 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए दो स्कीमों "स्टेशनरी की खरीद पर वित्तीय सहायता" और "योग्यता छात्रवृत्ति" को मंत्रिमंडल के निर्णय संख्या 2707 दिनांक 02.07.2019 के तहत विलय कर के नई स्कीम **अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी की खरीद पर वित्तीय सहायता और योग्यता छात्रवृत्ति** कर दिया गया है। इस नई स्कीम के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 3000 रुपये दिए जाएंगे (डेढ़ हजार रुपये स्टेशनरी के लिए और डेढ़ हजार योग्यता छात्रवृत्ति के रूप में) : 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 4000 रुपये वार्षिक (दो हजार रुपये स्टेशनरी के लिए और दो हजार योग्यता छात्रवृत्ति के रूप में) (पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक) : कक्षा 11वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को 5000 रुपये वार्षिक (2500 रुपये स्टेशनरी के लिए और 2500 योग्यता छात्रवृत्ति के रूप में) (पिछली कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य)। यदि आवेदक स्कूल से नकद/वस्तुगत रूप में स्टेशनरी प्राप्त करता हो, तो उसे स्कॉलरशिप के 1500 रुपये/या 2000 रुपये/ या 2500 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे, उस कक्षा के अनुरूप जिसमें वह अध्ययन कर रहा हो।

12.3 कॉलेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए योग्यता स्कॉलरशिप

दिल्ली सरकार कॉलेज/व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को 12000/–रुपये वार्षिक से 24000/– रुपये वार्षिक छात्रावास में रहने वालों के लिए और 8000 रुपये से 15000 रुपये वार्षिक अन्य के लिए मैरिट स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रही है। अजा/अजजा समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में परिवार की आय की सीमा लागू नहीं होती जबकि अपिव और अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध विद्यार्थियों के मामले में परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपर्युक्त वार्षिक पारिवारिक आय (2 लाख वार्षिक से 3 लाख रुपये वार्षिक) और पाठ्यक्रम शुल्क मंत्रिमंडल की निर्णय संख्या 2707 दिनांक 02.07.2019 द्वारा तय/संशोधित की गई और डीएससीएसटी के दिनांक 23.07.2019 के आदेश द्वारा लागू की गई। इससे पहले, पाठ्यक्रम शुल्क हॉस्टल में रहने वालों के लिए 9648 रुपये से 22320 रुपये वार्षिक और अन्य के लिए 5040 रुपये से 11520 रुपये वार्षिक, पाठ्यक्रम के आधार पर, था।

विवरण 17.19

कॉलेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए योग्यता स्कॉलरशिप स्कीम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	व्यय (करोड रुपये)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1.	2013-14	5.80	7163
2.	2014-15	6.78	13898
3.	2015-16	7.00	11086
4	2016-17	2.93	3011
5	2017-18	3.21	3658
6	2018-19	1.54	1704
7.	2019-20	1.31	1564
8.	2020-21	0.58	596
9.	2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	0.33	421

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

12.4 पब्लिक स्कूलों में अध्ययनकर रहे विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस की भरपाई

अजा/अजजा/अपिव समुदायों के विद्यार्थियों के मामले में दिल्ली सरकार पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस और अन्य अनिवार्य फीस अदा करती है, बशर्ते, परिवार की आय 3 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो। अधिकतम फीस भरपाई (ट्यूशन फीस, प्रयोगशाला फीस और लायब्रेरी फीस) 48000 रुपये या वास्तविक फीस, जो भी कम हो, की जाती है।

उपर्युक्त वार्षिक पारिवारिक आय (2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये वार्षिक) और अधिकतम फीस भरपाई (48000 रुपये या वास्तविक, जो भी कम हो) मंत्रिमंडल की निर्णय संख्या 2707 दिनांक 02.07.2019 द्वारा तय की गई।

विवरण 17.20

पब्लिक स्कूलों में (अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों के) अध्ययन के लिए ट्यूशन फीस की भरपाई कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.स.	वर्ष	संशोधित योजना परिव्यय (करोड़ रुपये)	व्यय (करोड़ रुपये)	लाभार्थियों की संख्या (विद्यार्थी)
1.	2012-13	9.50	9.50	6,816
2.	2013-14	18.30	18.00	15,442
3.	2014-15	34.00	31.80	26,777
4.	2015-16	37.00	33.19	21,090
5.	2016-17	42.00	5.18	1893
6.	2017-18	56.00	38.62	29435
7.	2018-19	43.00	39.88	25904
8.	2019-20	53.00	50.57	25414
9.	2020-21	48.00	14.58	5916
10.	2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	33.00	21.37	7972

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

12.5 अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाएं

11वीं कक्षा और उससे ऊपर अध्ययनरत अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध बालक–बालिका विद्यार्थियों को पढ़ने का उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए दिलशाद गार्डन, दिल्ली में छात्रावास सुविधाएं भी प्रदान की जा रहीं हैं। छात्रावास में सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। लड़कों के छात्रावास में 100 विद्यार्थियों और लड़कियों के छात्रावास में 60 विद्यार्थियों की क्षमता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक आय 2 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2020–21 में 189 लाख रुपये खर्च किये गये।

12.6 अजा/अपिव/अल्पसंख्यक श्रेणी के कमजोर वर्गों और अनाथों के लिए आवासीय विद्यालय

दिल्ली सरकार ने कैबिनेट के निर्णय संख्या 1981, दिनांक 31.02.2013 के माध्यम से अजा/अपिव/अल्पसंख्यक/अनाथ जैसे कमजोर वर्गों के लिए कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज (किस) के सहयोग से इस्सापुर में एक आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया। यह कार्यक्रम अजा/अजजा/अपिव/ अल्पसंख्यक विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और किस भुवनेश्वर के बीच एक प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन समझौते पर आधारित है। दिल्ली सरकार आवासीय विद्यालय चलाने के लिए किस दिल्ली को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 5000/– रुपये प्रति माह का अनुदान प्रदान करती है।

विवरण 17.21
अजा/अपिव/अल्पसंख्यक जैसे कमजोर वर्गों/अनाथों के लिए आवासीय विद्यालय कार्यक्रम की उपलब्धियां

वर्ष		बजट आवंटन (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	पंजीकृत विद्यार्थी/कक्षा
2013-14	आर	2.50	2.53	269/ कक्षा I-III
	सी	6.63	6.33	
2014-15	आर	5.00	1.87	353/ कक्षा I-IV
	सी	2.00	0.58	
2015-16	आर	4.0	2.25	369/ कक्षा I-V
	सी	2.0	0.74	
2016-17	आर	4.00	2.82	473/ कक्षा I-VI
	सी	1.00	-	
2017-18	आर	4.00	3.36	562/ कक्षा II-VII
	सी	1.50	0.74	
2018-19	आर	4.00	0.00	600/ कक्षा I-VIII
	सी	5.00	0.60	
2019-20	आर	7.70	7.65	682/ कक्षा I-IX
	सी	5.00	3.56	
2020-21	आर	4.50	00	708/ कक्षा I-IX
	सी	3.50	2.80	
2021-22	आर	5.00	2.13	789/ कक्षा I-IX
	सी	6.00	2.28	

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

13. आर्थिक उत्थान कार्यक्रम

13.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास निगम (डी एस सी एफ डी सी) की स्थापना की गयी। अपिव/अल्पसंख्यक/शावि व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का काम भी निगम को सौंपा गया। निगम को अब अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/शावि के लिए स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए) घोषित किया गया है। डीएससीएफडीसी इन समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए संबद्ध शीर्ष निगमों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रहा है। यह निगम अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए लाभार्थियों को ऋण प्रदान करता है।

13.2. विभाग अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 'दिल्ली स्वरोजगार योजना' नाम का एक कार्यक्रम डीएससीएफडीसी के माध्यम से लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में उद्यम लगाने के इच्छुक उद्यमी को 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। पिछले 6 वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम की उपलब्धियां विवरण 17.22 में दर्शायी गई हैं।

विवरण 17.22

क्र सं	वर्ष	शीर्ष	उपलब्धि	व्यय (लाख रु. में)
1	2015-16	कंपोजिट ऋण स्कीम	46	45.55
2		शैक्षिक ऋण स्कीम	11	36.93
3		दिल्ली स्वरोजगार योजना	70	173.45
4		प्रशिक्षण	682	10.52
5	2016-17	कंपोजिट ऋण स्कीम	187	238.92
6		शैक्षिक ऋण स्कीम	14	18.69
7		दिल्ली स्वरोजगार योजना	43	165.02
8.	2017-18	कंपोजिट ऋण स्कीम	208	451.81
9.		शैक्षिक ऋण स्कीम	16	22.34
10.		दिल्ली स्वरोजगार योजना	34	109.70
11.	2018-19	कंपोजिट ऋण स्कीम	236	470.85
12.		शैक्षिक ऋण स्कीम	9	34.47
13.		दिल्ली स्वरोजगार योजना	13	70.78
14.	2019-20	कंपोजिट ऋण स्कीम	249	410.05
15.		शैक्षिक ऋण स्कीम	9	16.37
16.		दिल्ली स्वरोजगार योजना	10	36.40
17.	2020-21	कंपोजिट ऋण स्कीम	361	375.00
18.		शैक्षिक ऋण स्कीम	7	23.48
19.		दिल्ली स्वरोजगार योजना	4	13.50

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

14. अजा बस्तियों में सुधार

विभाग अजा बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए ''अजा बस्ती सुधार'' कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसके अंतर्गत उन अजा बस्तियों में खड़ंजा बिछाना, सड़क निर्माण, नालियां बनाना, चौपालों/सामुदायिक केंद्र का निर्माण आदि विकास कार्य किये जा रहे हैं, जिनमें जनगणना रिकार्ड के अनुसार अनुसूचित जातियों की आबादी 33 प्रतिशत से अधिक हो। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने कैबिनेट निर्णय संख्या 2474 दिनांक 24.05.2017 के जरिये इस कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए कुछ और विकास कार्य इसमें शमिल किए। इनमें वृद्धाश्रम का निर्माण, पार्कों का विकास, व्यायामशाला, स्ट्रीट लाइट संस्थापना, सीवर लाइन आदि विकास कार्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा अनुमादित कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 5 साल में अनुमानित कार्य और व्यय की जानकारी विवरण–17.23 में दी गई है।

विवरण 17.23

अजा बस्तियों में सुधार और चौपालों के निर्माण पर खर्च

वर्ष	चौपालों की संख्या	अजा बस्तियों की संख्या	अन्य	व्यय (करोड़ रुपये में)
2014-15	12	09	-	37.63
2015-16	31	32	01	29.47
2016-17	29	36	-	25.16
2017-18	30	76	18	48.40
2018-19	24	178	37	49.57
2019-20	29	91	27	34.41
2020-21	3	26	1	0.50
2021-22	4	74	7	22.10 (दिसंबर 2021 तक)

स्रोत : अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग

15. (क) हाथ से मैला उठाने की रोकथाम अधिनियम, 2013 (एमएस एक्ट 2013)

15.1 एससीएसटी हाथ से मैला उठाने की रोकथाम संबंधी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन निर्धारित नियमों के कार्यान्वयन के लिए भी नोडल विभाग है। हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान के लिए माननीय उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद विभाग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति भी अधिसूचित की है। सीवर में उतरने के दौरान हुई मौतों के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप मृतक के निकट परिजन के लिए नीचे दी गई मुआवजा राशि जारी की गई है।

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	मौतों की संख्या	सरकार द्वारा जारी मुआवजा राशि	जारी की गई मुआवजा राशि का स्रोत
2017-18	5	12	रु.10 लाख प्रत्येक	मुख्यमंत्री राहत कोष
2018-19	2	07	रु.10 लाख प्रत्येक	02 मामलों में नियोक्ता; 05 मामलों में आपदा कोष
2019-20	5	10	रु.10 लाख प्रत्येक	05 मामलों में मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामला प्रक्रियाधीन है।
2020-21	4	7	रु.10 लाख प्रत्येक	01 मामले (02 व्यक्तियों) में मुआवजे का भुगतान किया और शेष 03 मामले भुगतान से संबंधित प्रक्रियाधीन हैं।
2021-22	2	2	रु.10 लाख प्रत्येक	कार्यकारी एजेंसी द्वारा 01 मामले में मुआवजे का भुगतान किया और शेष 01 मामला भुगतान से संबंधित प्रक्रियाधीन हैं।

15.2 हाथ से मैला उठाने की रोकथाम और उनके पुनर्वास संबंधी अधिसनियम 2013 के अनुसार जिला स्तरीय सर्वेक्षण समितियों की अधिसूचना के बाद हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान के लिए रा. रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 8 राजस्व जिलों में जिला स्तरीय सर्वेक्षण फरवरी 2018 में किया गया। 8 जिलों में से 3 जिला स्तरीय सर्वेक्षण समितियों में 45 हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान की। इनके लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एकबारगी 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति की नकद सहायता जारी करने का अनुरोध किया गया है।

15.3 वर्ष 2019–20 में विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सीवर / सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान राराक्षे दिल्ली में 10 मौतें हुई। जिसमें से 5 मामलों में मृतक के पारिवारिक सदस्यों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है और अन्य 5 मामलों में मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामला प्रक्रियाधीन है।

(ख) अत्याचार निवारण अधिनियम

अजा/अजजा/अपिव कल्याण विभाग अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग के रूप में भी काम करता है।

पिछले 6 वर्षों के दौरान विभाग ने अधिनियम के तहत मुआवजा राशि जारी की है और अजा/अजजा दंपतियों के लिए अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की। ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण 17.24

वर्ष	पीड़ितों की संख्या (अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत)	मुआवजा राशि (लाख में)
2015-16	21	6.64
2016-17	18	2.65
2017-18	22	35.07
2018-19	11	32.71
2019-20	26	29.81
2020-21	12	16.85

वर्ष	अंतर–जातीय विवाह करने वाले जोड़ों की संख्या	प्रोत्साहन राशि (लाख रुपये में)
2015-16	3	1.50
2016-17	2	1.00
2017-18	3	1.50
2018-19	0	0
2019-20	0	0
2020-21	0	0

16. जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना

16.1 दिल्ली सरकार ने मंत्रिमंडलीय निर्णय संख्या 2526 दिनांक 12.12.2017 के द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना वर्ष 2018–19 में आरंभ की। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने और समुचित रोजगार प्राप्त करने में सफल होने के वास्ते गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है। योजना के तहत विभाग यूपीएससी/एसएससी इत्यादि से संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को सूचीबद्ध संस्थानों के माध्यम से कोचिंग उपलब्ध कराता है। मंत्रिमंडल की निर्णय सं 2741 दिनांक 03.09.2019 द्वारायोजना के तहत अधिकतम निर्धारित कोचिंग शुल्क और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ साथ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी शामिल कर योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये वार्षिक तक हो। सरकार द्वारा अजा/अजजा/अपिव और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में प्रवेश का पूरा शुल्क वहन किया जाएगा।

16.2 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 2071 विद्यार्थियों ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों में दाखिला लिया। इनमें से 107 विद्यार्थियों ने इंजीनियरी/मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्राप्त की। इनमें से 36 विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं (14 जेईई और 22 नीट) अर्हता प्राप्त की।

17. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहयोग

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019 में एक नई योजना आरंभ की थी, जिसके तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता। मंत्रिमंडल ने 29.08.2019 के निर्णय संख्या 2736 के जरिए इसे मंजूरी दी।

इस योजना के तहत 100 चुने गए विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के जरिए इंजीनियरी और प्रबंधन, प्योर साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज, कृषि विज्ञान और मेडिसिन, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, लेखा और वित्त, मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों में मास्टर्स और पीएच.डी स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये और समग्र अवधि के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तथा मास्टर्स डिग्री के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये या वास्तविक राशि, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी के परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चहिए और आयु सीमा 30 वर्ष से कम होनी चाहिए।